UPFZ010068002025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीनः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908) ... एच०जे०एस०

दाण्डिक निगरानी सं०–369/2025

[CIS Registration No.: 412/2025]

अजय कुमार जायसवाल आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र स्व० डा० हीरालाल जायसवाल निवासी फार्मर एग्रोपाली क्लीनिक नवीन मण्डी के सामने; हालपता शिव नगर कालोनी पहाड़गंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उ०प्र० राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2. मनोज दूबे पुत्र स्व०रामतेज दूबे निवासी ग्राम व पोस्ट कहुआ थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता अजय कुमार जायसवाल की तरफ से विद्वान पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त न्यायालय, अयोध्या द्वारा परिवाद सं० 231/2016 (पुराना नं० 15/2011) मनोज कुमार दूबे बनाम अजय कुमार जायसवाल, अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम), थाना कोतवाली नगर, जिला अयोध्या में पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 18.10.2025 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनाँकित 28.05.2025 को निरस्त कर दिया है।

2. निगरानी के तथ्य संक्षिप्त रूप से इसप्रकार है कि विपक्षी सं०–2/परिवादी मनोज दूबे की ओर से अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता/अभियुक्त अजय कुमार जायसवाल के विरूद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) विवादित चेक सं० 637274, 637275, 637276, 637277, 637278, 221648, 221649, 221650 एवं 221651 के अनादरण के सम्बन्ध में दाखिल किया गया, जिसमें आदेश दिनाँक 05.07.2011 पारित करते हुए विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त अजय कुमार जायसवाल को अपराध अंतर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट के विचारण हेतु तलब किया और विचारण के दौरान निगरानीकर्ता/अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 251 द०प्र०सं० अंकित कर विपक्षी/परिवादी का साक्ष्य संकलित किया और तदोपरान्त निगरानीकर्ता/अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया और पत्रावली सफाई साक्ष्य व उसके उपरान्त बहस में नियत हुयी।

Digitally signed by RANJANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.07 16:52:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कालान्तर में निगरानीकर्ता/अभियुक्त की तरफ से जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र दिनाँकित 28.05.2025 अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वह उक्त मुकदमे में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं और पत्रावली के अवलोकन से उन्हें ज्ञात हुआ कि परिवादी का बयान धारा 202 द०प्र०सं० जरिए शपथपत्र दाखिल है, परन्तु पूर्व अधिवक्ता की लापरवाही से प्रतिपरीक्षा न होने के कारण अवसर समाप्त कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र में परिवादी को आहूत कर प्रतिपरीक्षा का अवसर दिए जाने की याचना की गयी। निगरानीकर्ता/अभियुक्त के उपरोक्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० के विरूद्ध विपक्षी/परिवादी की ओर से आपत्तिपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापत्र का विराध किया गया और प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी। विद्वान अवर न्यायालय ने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को उपरोक्त प्रार्थनापत्र एवं आपत्तिपत्र पर सुनकर आलोच्य आदेश दिनाँक 18.10.2025 पारित करते हुए निगरानीकर्ता/ अभियुक्त के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० को निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी इस निगरानी न्यायालय में योजित की गयी है।

3. निगरानीकर्ता ने निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि निगरानीकर्ता के पूर्व अधिवक्ता विपक्षी/परिवादी के पक्ष में हितबद्ध होकर प्रश्नगत परिवाद की यथोचित पैरवी नहीं किए और न ही कार्यवाही के बावत निगरानीकर्ता/अभियुक्त को अवगत ही कराए। प्रश्नगत परिवाद में दिनाँक 20.05.2017 को निगरानीकर्ता/अभियुक्त के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के आधार पर स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त कर प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया और उसके पश्चात दिनाँक 04.08.2017 को निगरानीकर्ता/अभियुक्ता का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया तथा दिनाँक 27.09.2017 को सफाई साक्ष्य का भी अवसर समाप्त कर दिया गया। कालान्तर में विपक्षी/परिवादी के न्यायालय में गैर हाजिर होने पर अवर न्यायालय ने आदेश दिनाँकित 05.08.2022 को प्रश्नगत परिवाद को धारा 204(4) द०प्र०सं० के अंतर्गत निरस्त कर दिया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी/परिवादी की ओर से योजित दाण्डिक निगरानी को सत्र न्यायालय, अयोध्या द्वारा आदेश दिनाँकित 17.12.2024 के द्वारा स्वीकृत किया गया और तदनुसार अवर न्यायालय के आदेश दिनाँकित 05.08.2022 को अपास्त कर दिया गया और मामले को पुनः विचारण हेतु रिमाण्ड किया गया। निगरानीकर्ता ने यह आधार लिया है कि रिमाण्ड होने के पश्चात प्रश्नगत परिवाद की कार्यवाही विधितः नए सिरे से प्रारम्भ की जानी चाहिए थी, किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने पूर्व पारित आदेश के अनुक्रम में निगरानीकर्ता/अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया और इस कारण निगरानीकर्ता/अभियुक्त नाजायत तरीके से कारागार में निरूद्ध रहा। जमानत पर रिहा होने के उपरांत निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा अपना नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया और प्रति परीक्षा हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया, किन्तु अवर न्यायालय

द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं दिया गया और प्राविधानों के विपरीत अवसर समाप्त कर दिया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रश्नगत परिवाद पत्रावली सत्र न्यायालय से रिमाण्ड होने के पश्चात उसमें की गयी कार्यवाही प्राविधानों के विपरीत है। आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्याय की मंशा के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त आधार पर निगरानीकर्ता ने प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी को स्वीकार किए जाने एवं आलोच्य आदेश को निरस्त किए जाने की याचना की है।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक तर्क में मुख्यतः वही कथन किए हैं, जो निगरानी मेमो में आधार के रूप में उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का निस्तारण करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया और सरसरी तौर पर प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। निगरानीकर्ता/अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। विद्वान अवर न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत आदेश नहीं है और उसमें हस्तक्षेप किए जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाए और अवर न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आलोच्य आदेश निरस्त किया जाए।

5. इसके विपरीत विपक्षी सं०–1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता एवं विपक्षी सं०–2 की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी का विरोध किया एवं तर्क किया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा जानबूझकर नियत तिथियों पर विपक्षी/परिवादी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी, जिस कारण अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों के तहत उसके प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा जानबूझकर विचारण कार्यवाही को लम्बित रखने के उद्देश्य से बार बार प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे निरस्त करने में विद्वान अवर न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पारित है। निगरानी आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7. निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर पर मात्र यह विचारित करना अपेक्षित है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमतिता, अशुद्धता

अथवा विधि की कोई त्रुटि कारित की गयी है अथवा नहीं। निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित होता है और इसे नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

8. प्रस्तुत मामले में आलोच्य आदेश दिनाँकित 18.10.2025 के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से परिवादी साक्षी से प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किए जाने के आशय से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया है। इस संदर्भ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 में उल्लिखित प्राविधान का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जो निम्नवत है :–

> **311. आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति––** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनःपरीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

9. विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनाँक 18.10.2025 में यह निष्कर्ष दिया है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त का परिवादी से प्रतिपरीक्षा का अवसर दिनाँक 20.05.2017 को समाप्त कर दिया गया था, जिसे रिकाल करने हेतु निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, जो निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विचारण में सहयोग न किए जाने के कारण आदेश दिनाँकित 25.11.2017 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई भी पुनरीक्षण योजित नहीं किया गया और तदनुसार उक्त आदेश अंतिमता का प्रभाव रखता है और उक्त आधारों पर अवर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया और प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है।

10. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निष्कर्ष के सन्दर्भ में अवर न्यायालय की पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक परिशीलन किया गया। अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से दर्शित होता है कि विचारण कार्यवाही के दौरान दिनाँक 10.04.2017 को अभियुक्त की पृच्छा अंतर्गत धारा 251 द०प्र०सं० अंकित किया गया है और उसके पश्चात पत्रावली परिवादी साक्ष्य एवं जिरह हेतु नियत हुयी। परिवादी साक्ष्य के उपरांत प्रतिपरीक्षा हेतु पत्रावली में विभिन्न तिथियाँ नियत होना आदेशपत्र के परिशीलन से दर्शित है और कालांतर में आदेश दिनाँक 20.05.2017 के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा परिवादी साक्षी से जिरह न किए जाने की दशा में प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया है। आदेशपत्र के परिशीलन से यह भी दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से परिवादी साक्षी से प्रतिपरीक्षा का अवसर पुनः प्रदान किए जाने के आशय से अवर न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिनाँक 08.11.2017 अंतर्गत

धारा 311 द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र को विद्वान अवर न्यायालय ने विस्तृत आदेश दिनाँकित 25.11.2017 पारित करते हुए इस निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त प्रकरण को निस्तारित नहीं होने देना चाहता है और इसीलिए वह तरह तरह का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त के असहयोगात्मक रवैये के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र दिनाँकित 08.11.2017 को निरस्त किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रार्थनापत्र दिनाँकित 08.11.2017 अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० के निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से उच्चतर किसी न्यायालय में कोई उपक्रम जैसे निगरानी, अपील या रिट इत्यादि दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश अंतिम आदेश है और परिवादी साक्षी से प्रतिपरीक्षा किए जाने के निमित्त धारा 311 द०प्र०सं० के प्राविधानों का उपयोग निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। यह सही है कि धारा 311 द०प्र०सं० की शक्तियों का प्रयोग न्यायालय कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर कर सकता है, किन्तु एक ही आधार पर बार–बार उक्त प्राविधानान्तर्गत शक्ति का प्रयोग करना, वह भी जबकि पूर्व में उस प्राविधानान्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। इसी आशय की अवधारणा विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनाँक 18.10.2025 में भी किया है और इस तरह यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग न किया हो और आलोच्य आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता कारित की हो। जहाँ तक निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क कि पूर्व में निगरानी न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय के आदेश दिनाँक 05.08.2022, जिसके द्वारा प्रश्नगत परिवाद धारा 204 (4) द०प्र०सं० के तहत निरस्त कर दिया गया था, को अपास्त कर प्रकरण अवर न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया था,इसलिए रिमाण्ड होने के पश्चात प्रश्नगत परिवाद में अवर न्यायालय को कार्यवाही विधितः नए सिरे से प्रारम्भ की जानी चाहिए थी, का प्रश्न है, तो उक्त तर्क एकदम से बलहीन एवं औचित्यहीन है। पत्रावली पर प्रश्नगत दाण्डिक निगरानी सं०–196/2024 मनोज कुमार दूबे बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनाँक 17.12.2024 की प्रतिलिपि उपलब्ध है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट है कि निगरानी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनाँक 05.08.2022 को विधिक प्राविधानों के अंतर्गत विधिसम्मत रूप से पारित नहीं होना पाया और तदनुसार उक्त आदेश में अनियमितता, अशुद्धता एवं अवैधानिकता पाते हुए उक्त स्तर पर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण को अवर न्यायालय को वापस प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसका तात्पर्य यह किसी भी रूप में नहीं हो सकता है कि विचारण की कार्यवाही नए सिर अथवा प्रारम्भिक स्तर से की जाएगी। प्रश्नगत परिवाद वर्ष 2011 से अवर न्यायालय में विचाराधीन है और प्राचीन वादों की श्रेणी में है। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर न्यायालय में अनुपस्थित

रहा है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निमित्त अनावश्यक रूप से पत्रावली में विभिन्न तिथियाँ नियत होती रही हैं। प्रश्नगत परिवाद निस्तारण के अंतिम स्तर पर बहस हेतु नियत चल रही है। ऐसी स्थिति में धारा 311 द०प्र०सं० के अंतर्गत बिना किसी संतोषजनक आधार के पत्रावली को पुनः साक्ष्य के स्तर पर वापस ले जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त विधिक विश्लेषण एवं विवेचन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान अवर न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें न तो कोई अशुद्धता है, न कोई अनियमतिता है और न ही कोई अवैधानिकता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निहित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सन्तुष्टि के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। निगरानी आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी सं०–369/2025 निरस्त किया जाता है।

अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब अवर न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाए। पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष दिनाँक 17.03.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनाँकः 07.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।

निर्णयादेश आज इस न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 07.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।